न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–153/2019

श्रीमती मिथलेश कुमारी बनाम मोहम्मद शरीफ आदि

19.08.2019

प्रार्थना पत्र ग–6 मय शपथ पत्र ग–7 पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी का कथन है कि वादिनी एक किता भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 256 रकबा 1.2230 हे० की मालिक काबिज व दखील है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण विवादित भूमि के उत्तर चक मार्ग जो सरकारी नक्शे में भी मौजूद है, खत्म करके विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करके वादिनी को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अपने कथन के समर्थन में सूची 9 से उद्धरण खतौनी ग–10, खसरा ग–11, नक्शा ग–12 दाखिल किया गया है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत विवादित भूमि गाटा संख्या 256 रकबा 1.2230 हे० की नकल खतौनी व खसरा से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में वादिनी का नाम दर्ज अभिलेख है। मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादिनी का प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। अतः वाद दायर होने के प्रयोजन को निष्फल होने से बचाने हेतु तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को दौरान मुकदमा संरक्षित रखने हेतु प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक वादग्रस्त सम्पत्ति भूमि गाटा संख्या 256 रकबा 1.2230 हे० के संबंध में वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें।

वादिनी आदेश–39 नियम–03 जाप्ता दीवानी का अनुपालन अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण ग–6 दिनांक 19.09.2019 को पेश हो।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

19.08.2019

प्रार्थना–पत्र ग–14 पर सुना। स्वीकृत। वादिनी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।